

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
[सं. 14/2026-सीमाशुल्क (एनटी)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि. (अ) - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यात्री सामान नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री सामान नियम, 2026 है।
(2) ये तारीख 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ।** - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - "अधिनियम" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;
 - "उपाबंध" से इन नियमों के साथ संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;
 - "परिशिष्ट" से इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;
 - "पर्यटक वीजा" से अन्यथा विधिमान्य वीजा वाला विदेशी से ऐसा विदेशी अभिप्रेत है, जिसके पास पर्यटक वीजा से भिन्न विधिमान्य वीजा है और जो भारत में छह माह से अधिक समय से रह रहा है;
 - "शिशु" से दो वर्ष से अनधिक आयु का बालक अभिप्रेत है;
 - "आभूषण" से ऐसे आभूषण अभिप्रेत हैं जिन्हें कोई व्यक्ति सामान्यतः पहनता है और जो सोने, चांदी, प्लेटिनम या ऐसी अन्य बहुमूल्य धातुओं से बने होते हैं, चाहे उन में जड़ाऊ पदार्थ हो अथवा नहीं;
 - "व्यक्तिक चीजवस्त" से सभी वस्तुएं (नयी अथवा प्रयुक्त) अभिप्रेत हैं जिनकी किसी यात्री को यात्रा के दौरान अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा हो सकेगी है, जिसमें यात्रा की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इसमें वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आयातित अथवा निर्यातित कोई भी माल शामिल नहीं है;
 - "निवासी" से पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी विधिमान्य पासपोर्ट धारण करने वाला और सामान्यतः भारत में निवास करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

झ. "पर्यटक" से भारत में सामान्यतः निवास न करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है और जो विधिसम्मत गैर अप्रवास प्रयोजन के लिए किसी बारह मास की अवधि के अनुक्रम में छह मास से अनधिक ठहरने के लिए भारत में प्रवेश करता है ।

(2) ऐसे शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) में परिभाषित हैं के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में उनके हैं ।

3. व्यक्तिक चीजवस्त का शुल्क मुक्त आयात - भारत आने वाले यात्री, जिसमें शिशु भी शामिल है, को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयुक्त निजी सामान की निकासी और उसमें वास्तविक सामान के साथ व्यतिगत रूप से लाए जा रहे यात्रा स्मृति चिन्हों को उपाबंध-I में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त, शुल्क मुक्त ले जाने की अनुमति दी जाएगी ।

4. पुनः आयात और अस्थायी आयात के लिए उपबंध - (1) रोजमरा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित किए गए व्यक्तिक चीजवस्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिक चीजवस्त, जो निवासी ने पहले निकाल लिया हो या भारतीय मूल के पर्यटक या पर्यटक वीजा से अन्यथा विधिमान्य वीजा वाला विदेशी, या उनके परिवार के सदस्य को, भारत से शुल्क मुक्त ले जाने की अनुमति दी जाएगी, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा इस बात की संतुष्टि के अधीन, कि ऐसे व्यक्तिक चीजवस्त प्रस्थान के समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा की गई घोषणा के आधार पर भारत से पहले ही निकाले जा चुके हैं ।

(2) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रयुक्त व्यक्तिगत सामानों के अतिरिक्त व्यक्तिक चीजवस्त की कोई भी मद, जो किसी पर्यटक द्वारा भारत में अपने प्रवास के लिए आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा की गई घोषणा प्रस्तुत करने पर, अस्थायी रूप से शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी जा सकेगी और विदेशी गंतव्य के लिए भारत से प्रस्थान करते समय उनके पुनः निर्यात की अनुमति दी जा सकती है ।

(3) इस नियम के अधीन सुविधा का लाभ उठाने वाले यात्री जोखिम आधारित सत्यापन के अधीन हो सकेंगे ।

5. साधारण मुक्त मोक - भारतीय मूल का कोई निवासी या पर्यटक या पर्यटक वीजा से अन्यथा विधिमान्य वीजा वाला विदेशी और जो शिशु नहीं है, भूमि के रास्ते के अतिरिक्त भारत आता है, तो उसे उपाबंध-I में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त, पचहत्तर हजार रुपये तक के मूल्य की किसी भी वस्तु की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति होगी, यदि वे स्वयं या यात्री के यात्री सामान के साथ वाले यात्री सामान में रखीं हों, यदि ऐसी वस्तु व्यक्ति द्वारा या यात्री के सामान के साथ सद्भावपूर्वक लाई जाती हैं:

परन्तु विदेशी मूल का कोई पर्यटक, जो शिशु नहीं है, भूमि के रास्ते के अतिरिक्त किसी और रास्ते से भारत आता है, तो उसे उपाबंध-I में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त, पच्चीस हजार रुपये

तक के मूल्य की दूसरी वस्तुओं को शुल्क मुक्त के ले जाने की अनुमति होगी, यदि वे स्वयं या यात्री के साथ सद्भावपूर्वक लाई जाती है:

परन्तु यह और कि जहां यात्री भूमि के रास्ते भारत आता है, तो केवल रोज़मरा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किए गए निजी सामान को ही शुल्क मुक्त ले जाने की अनुमति होगी:

परन्तु यह और भी कि अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र के यात्री (चालक सदस्य के अतिरिक्त) को सद्भावपूर्वक यात्री सामान में शुल्क मुक्त नोटपेड सहित एक नए लैपटॉप के निकासी की अनुमति होगी ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, इस नियम के अधीन किसी यात्री के मुक्त मोक को किसी अन्य यात्री के मुक्त मोक के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आभूषण के लिए विशेष मोक - एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक को, भारत लौटने पर, यदि कोई महिला यात्री है तो बीस ग्राम तक के आभूषण या यदि महिला यात्री के अतिरिक्त कोई और यात्री है, तो चालीस ग्राम तक के आभूषण, शुल्क मुक्त निकासी के सद्भावपूर्वक यात्री सामान के साथ लाने की अनुमति होगी ।

7. निवास का स्थानांतरण - (1) भारतीय मूल का निवासी या पर्यटक, जो विदेश में किसी वृति में लगा हुआ है, या वापसी पर अपना निवास भारत में स्थानांतरित करता है, के उसे यथास्थिति नियम 3, या नियम 5 के अधीन सामान लाने की अनुमति है, इसके अतिरिक्त स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित, शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, स्तंभ (2) में उल्लिखित सीमा तक वास्तविक यात्री सामान की वस्तुओं की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति होगी, और परिशिष्ट 1 के स्तंभ (4) उल्लिखित ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक छूट दी जाएगी ।

(2) पर्यटक वीजा के अतिरिक्त विधिमान्य वीजा वाले विदेशी, जो भारत में किसी वृति में लगे हुए हैं या अपने निवास को भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं, आगमन पर, के उसे यथास्थिति नियम 3, या नियम 5 के अधीन सामान लाने की अनुमति है, इसके अतिरिक्त स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित, शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, स्तंभ (2) में उल्लिखित सीमा तक वास्तविक यात्री सामान की वस्तुओं की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति होगी, और परिशिष्ट 2 के स्तंभ (4) उल्लिखित ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक छूट दी जाएगी ।

(3) उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, परिशिष्ट 1 और 2 में उल्लिखित मूल्य तक निवास के स्थानांतरण पर ला सकेगा ।

(4) यदि भारत में निवास की विहित अवधि में कमी हो, तो यात्री को बिना किसी देरी के यथास्थिति, प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को सूचित करना होगा, जिसकी अधिकारिता में उस सीमाशुल्क केन्द्र की अधिकारिता हो जहां शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी गई थी, और अनुज्ञेय

शुल्क मुक्त मोक से अधिक माल पर लागू शुल्क, यदि कोई हो, और लागू ब्याज का भुगतान करना होगा ।

8. **मुद्रा** - इन नियमों के अधीन करेसी के आयात और निर्यात का विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियम, 2015 के उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएँ के अनुसार किया जाएगा ।

9. **पालतू जानवर** - किसी यात्री द्वारा पालतू जानवरों का आयात केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या किसी प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे ।

10. **असंगी यात्री सामान के संबंध में नियम** - (1) ये नियम सभी असंगी यात्री सामान को लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा उन नियमों से बाहर न रखा गया हो:

परन्तु यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त असंगी यात्री सामान की अनुमति दे सकेगा यदि यह विदेशी यात्री के कब्जे में है और भारत में पहुंचने से एक माह के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर भेजा गया है ।

परन्तु यह और कि यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को असंगी यात्री सामान के पहुंचने से दो महीने पहले या एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर भारत में पहुंच सकता है, जैसा कि लिखित रूप में दर्शाए जाने वाले कारणों से अनुमति दें, यदि उन्हें विश्वास है कि यात्री दो महीने की अवधि के भीतर भारत आने से रोका गया है, जो कि उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियाँ हैं, जैसे यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की अचानक बीमारी, या प्राकृतिक आपदाएँ या अशांत पस्थितियाँ या संबंधित देश या देशों में परिवहन या यात्रा व्यवस्था में व्यवधान या कोई अन्य कारण, जिसके कारण यात्री के यात्रा कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया हो ।

11. **चालक दल के सदस्यों पर इन नियमों का लागू होना** - (1) ये नियम विदेश जाने वाले वाहन में लगे चालक सदस्यों पर उनके कार्य के समाप्त होने पर अंतिम भुगतान के समय अपने यात्री सामान के आयात के लिए भी लागू होंगे ।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लोगों के अतिरिक्त किसी जलयान या वायुयान के चालक दल के सदस्य को अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए चॉकलेट, चीज, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उपहार वस्तुएँ लाने की अनुमति होगी, जिनका मूल्य दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं है ।

उपाबंध-1

(नियम 3, 5 और 7 देखें)

1. आग्नेयास्त्र,
2. 50 से ज्यादा आग्नेयास्त्रों के कारतूस ।

3. 100 से अधिक सिगरेट या 25 से अधिक सिगार या 125 ग्राम से अधिक तंबाकू ।
4. दो लीटर से अधिक शराब या वाइन ।
5. आभूषणों के अतिरिक्त किसी भी रूप में सोना या चांदी ।
6. टेलीविज़न ।

उपाबंध 2

(नियम 7 देखें)

1. होम थिएटर सिस्टम ।
2. एयर-कंडीशनर ।
3. माइक्रोवेव ओवन ।
4. वॉशिंग मशीन ।
5. गैस कुकिंग रेज ।
6. व्यक्तिगत कंप्यूटर (डेस्कटॉप कंप्यूटर) ।
7. लैपटॉप कंप्यूटर (नोटबुक कंप्यूटर) ।
8. घरेलू रेफ्रिजरेटर ।
9. टेलीविज़न ।
10. डिश वॉशर ।
11. डीप फ्रीजर ।
12. वीडियो कैमरा या ऐसे किसी वीडियो कैमरा का निम्नलिखित में से एक या अधिक वस्तुओं के साथ संयोजन, अर्थात्:-
 - (क) टेलीविज़न रिसीवर;
 - (ख) ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन साधित्र;
 - (ग) वीडियो पुनरुत्पादन साधित्र ।
13. वैक्यूम क्लीनर।
14. एयर फ्रायर ।

15. ड्रायर मशीन ।
16. एयर कूलर ।
17. प्ले स्टेशन या कोई अन्य गेमिंग कंसोल ।
18. वॉटर डिस्पेंसर ।
19. तेल हीटर।
20. इलेक्ट्रिक ओवन ।
21. संगीतात्मक यंत्र (पियानो या गिटार, आदि) ।
22. टैबलेट (जैसे आईपैड) ।
23. छोटे ब्लूटूथ स्पीकर ।
24. एयर प्यूरीफायर ।
25. डीह्यूमिडिफायर ।
26. मल्टीफ़ंक्शन प्रिंटर ।
27. रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ।
28. मसाज चेयर ।
29. प्रोजेक्टर ।
30. एम्पलीफायर ।

परिशिष्ट-1

(नियम 7 देखें)

भारत मूल के निवासियों और पर्यटकों के लिए उपलब्ध मोक

विदेश में रहने की अवधि	शुल्क मुक्त अनुज्ञात वस्तुएं	शर्तें	छूट
(1)	(2)	(3)	(4)
तीन महीने से लेकर बारह महीने तक	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में	-	-

	उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल कीमत एक लाख पचास हजार रुपये तक ।		
पिछले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक वर्ष रहा है ।	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य तीन लाख रुपये तक ।	यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया हो ।	-
कम से कम दो वर्ष या उससे अधिक रहा है	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य सात लाख पचास हजार रुपये तक ।	(i) जिसका निवास स्थानान्तरण पर आगमन की तारीख से तुरन्त पहले विदेश में न्यूनतम दो वर्ष का रहा हो;	(क) शर्त (i) के लिए, विदेश में रहने को दो महीने तक सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा माफ किया सकता है, यदि शीघ्र वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा ली गई सेवांत छुट्टी या अवकाश; या (ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे ।

		<p>(ii) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में छोटी यात्रा पर कुल निवास छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए; और</p> <p>(iii) यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया है।</p>	<p>(ख) शर्त (ii) के लिए, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करके छह महीने से अधिक की छोटी यात्राओं को माफ कर सकते हैं।</p> <p>(ग) शर्त (iii) के लिए, कोई छूट नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

परिशिष्ट-2

(नियम 7 देखें)

पर्यटक वीजा से अन्यथा विधिमान्य वीजा वाला विदेशियों को मिलने वाले मोक

निवास करने की अवधि	शुल्क मुक्त अनुजात वस्तुएं	शर्तें	छूट
(1)	(2)	(3)	(4)
भारत में छह माह से लेकर बारह माह तक	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य एक लाख पचास हजार रुपये तक।	(i) भारत में न्यूनतम छह माह रहा हो;	शर्त (i) के लिए, भारत में तीन माह से कम रुकने की स्थिति में प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त माफ कर सकते हैं, अगर शीघ्र निकलना निम्नलिखित कारणों से हो:-

		<p>(i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी; या</p> <p>(ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे ।</p> <p>(iii) यात्री ने पिछले एक वर्ष में इस छूट का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए ।</p> <p>(iv) शर्त (ii) के लिए कोई छूट नहीं होगी ।</p>	
भारत में आने की तारीख से अगले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक वर्ष रहा हो ।	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य तीन लाख रुपये तक ।	<p>(i) भारत में पहुंचने की तारीख से उत्तरवर्ती दो वर्षों के दौरान न्यूनतम एक वर्ष रहा हो ।</p> <p>(ii) यात्री ने पिछले एक वर्ष में इस छूट का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए ।</p>	<p>भारत में तीन माह से कम रुकने की स्थिति में प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त माफ कर सकते हैं, शीघ्र वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:-</p> <p>(i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी का लाभ उठालिया गया हो; या</p> <p>(ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे ।</p> <p>(iv) शर्त (ii) के लिए कोई छूट नहीं होगी ।</p>

निवास करने की अवधि	शुल्क मुक्त अनुज्ञात वस्तुएं	शर्तें	छूट
(1)	(2)	(3)	(4)
भारत में कम से कम दो वर्ष या उससे अधिक का निवास	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में सूचीबद्ध वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य सात लाख पचास हजार रुपये तक।	(i) निवास स्थानान्तरण पर भारत में आगमन की तारीख के तुरन्त बाद की अवधि के दौरान भारत में न्यूनतम दो वर्ष तक रहने का हो;	(क) शर्त (i) के लिए, भारत में दो माह से कम रुकने की स्थिति में सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकता है, यदि समय से पहले वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी का लाभ उठा लिया गया हो; या (ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे। (ख) शर्त (i) के लिए, प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से छह महीने तक की छोटी यात्राओं को माफ

		(ii) यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया है।	कर सकते हैं। (ग) शर्त (ii) के लिए, कोई छूट नहीं होगी।
दो वर्षों या उससे अधिक विदेश में रहने के बाद वापस आना।	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में सूचीबद्ध वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य सात लाख पचास हजार रुपये तक।	(i) जिसका निवास स्थानान्तरण पर आगमन की तारीख से तुरन्त पहले विदेश में न्यूनतम दो वर्ष का रहा हो; (ii) पिछले दो सालों के दौरान भारत में छोटी यात्रा पर कुल निवास छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए; और	(क) शर्त (i) के लिए, विदेश में रहने में दो महीने तक की कमी को सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकता है, अगर जल्दी वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा ली गई सेवांत छुट्टी या अवकाश; या (ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे। (ख) शर्त (ii) के लिए, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से छह महीने से

		<p>(iii) यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया हो ।</p> <p>अधिक की छोटी यात्राओं को माफ़ कर सकते हैं ।</p> <p>(ग) शर्त (iii) के लिए, कोई छूट नहीं होगी ।</p>
--	--	--

[सं. 450/174/2024-सीयूएस-IV]

[अनुरिमा शर्मा]

निदेशक (सीमाशुल्क)